न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R 1501-PBR/14 /2014 जिला–होशंगाबाद

मंजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह नवासी मालवीयगंज इटारसी जिला होशंगाबाद (म.प्र.) —— आवेदक

विरूद्ध

1. शोभाराम पुत्र स्व. श्री नत्थूकीर
2. लखमीचन्द्र पुत्र स्व. श्री नत्थूकीर निवासी वार्ड नं. 15 स्वप्नेश्वर हनुमान मंदिर के पास मालवीयगंज इटारसी जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
3. सुनीता देवी पत्नी शंकरलाल निवासी वार्ड नं. 5 रायसाहब की चाल पुरानी इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
4. सर्वसाधारण .—— अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार इटारसी द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/ए–6–ए/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा तहसीलदार इटारसी के समक्ष भू–राजस्व संहिता की धारा 115,116 के अन्तर्गत वास्ते कब्जा दर्ज करने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख है कि ग्राम मेहरा गांव में स्थित भूमि खसरा नं 25/1 रकवा 1.619, खसरा नं. 26/1 रकवा 0.219 जुमला रकवा 1.838 हैक्टयर कृषि भूमि अनावेदक क्रमांक 3 सुनीता देवी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है एवं कृषि भूमि खसरा नं. 25/2 रकवा 0.356 खसरा नं. 26/2 रकवा 0.142 खसरा नं. 26/5 रकवा 0.065 खसरा नं. 38/1 रकवा 0.162 जुमला रकवा 0.725 हैक्टयर राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम दर्ज है।
2. यहकि, उपरोक्त वर्णित भूमियॉ वर्ष 1967–68 से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के अधिपत्य में निरन्तर रूप से रही है जिसका इन्द्रांज खसरा पंच शाला में वर्ष 1967–68 से वर्ष 1972–73 तक है तथा वर्ष 1973 से आज दिनांक तक अनावेदकगण का अधिपत्य उक्त कृषि भूमियों पर शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1501-पीबीआर/2014 जिला होशंगाबाद

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष रीडर	